न्यायालय–संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0:–156/2013
CIS NO. TS 322/2018

शिव प्रसाद सिंह...वादी
बनाम
रेश्मी देवी एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
09.05.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 30.09.2024 संबंधित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 30.09.2024 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादी साक्ष्य दिनांक 13.04.2018 को बंद हो गया है तथा अभिलेख बहस हेतु नियत है। हाल में अभिलेख का अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वादी की ओर से दाखिल मालगुजारी रसीद वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2010–11 दिनांक 03.09.2015 को फ्री सबुत के साथ दाखिल किया गया है लेकिन भुलवश प्रदर्श अंकित नहीं हो सका है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आदेश दिनांक 13.04.2018 को वापस लेकर वादी के औपचारिक साक्ष्य द्वारा उपरोक्त मालगुजारी रसीद को प्रदर्श अंकित कराने हेतु आदेश देने की कृपा की जाय। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख बहस हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित	

न्यायालय–संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–156/2013

CIS NO. TS 322/2018

शिव प्रसाद सिंह..वादी

बनाम

रेश्मी देवी एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार 09.05.2025	नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादी द्वारा दाखिल मालगुजारी रसीद वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 30.09.2024 को मो0–500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 13.04.2018 को वापस लिया जाता है। आगामी दिनांक 23.05.2025 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	